उत्तर प्रदेश शासन
राजस्व अनुभाग-1
संख्या-18/2020/1214/एक-1-2020-रा0-1
लखनऊ: दिनॉक: 08 अक्टूबर, 2020

अधिसूचना

जिलाधिकारी, गोरखपुर के पत्र संख्या-120/भू0व्यव0-2020, दिनांक 20-07-2020 व पत्र संख्या-130/भू0व्यव0-2020, दिनांक 31-07-2020 के आलोक में उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता 2006 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 8 सन् 2012) की धारा 77 की उपधारा-2 सपठित धारा 101 की उपधारा-2 के परन्तुक में प्राप्त शक्ति का प्रयोग करके श्री राज्यपाल संस्था के जनहित कार्यों के दृष्टिगत ग्राम सोनबरसा तप्पा मराछी चन्दौर तहसील सदर जनपद गोरखपुर स्थित ग्राम सभा की आरक्षित श्रेणी की भूमि गाटा संख्या-532/0.020हे0 (नाली), 516च/0.057हे0, 615/0.010हे0, 618/0.021हे0, 633/0.014हे0, 637/0.040हे0, 552/0.027हे0, 538/0.050हे0, 571/0.055हे0 (चकमार्ग), 607/0.130हे0 (धोबीघाट) व 608/0.113हे0 (श्मशान) अर्थात् कुल 11 गाटा कुल रकबा 0.537 हे0 का संक्रमणीय भूमिधर श्री गुरु गोरक्षनाथ चिकित्सालय, गोरखपुर मन्दिर के नाम अंकित उसी ग्राम में स्थित भूमि गाटा संख्या-977ब मि0/0.022हे0, 977ब मि0/0.063हे0, 977ब मि0/0.239हे0, 977ग मि0/0.143हे0, 671क/0.016हे0, 671ख/0.033हे0, 671ग/0.016हे0 व 1145मि0/0.067हे0 अर्थात् कुल 08 गाटा कुल रकबा 0.599 हे0 से सशुल्क श्रेणी परिवर्तन व विनिमय की अनुमति निम्नलिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन प्रदान करते हैं:-

(1) उक्त भूमियों का श्रेणी परिवर्तन/विनिमय संस्था के जनहित कार्यों के दृष्टिगत अपरिहार्य परिस्थितियों में किया जा रहा है।

(2) संस्था से श्रेणी परिवर्तन हेतु जिलाधिकारी द्वारा निर्धारित सर्किल रेट का 25 प्रतिशत धनराशि शुल्क निर्धारित लेखाशीर्षक में जमा कराया जायेगा। संस्था द्वारा लोक प्रयोजन की भूमि का श्रेणी परिवर्तन का मूल्य निर्धारित लेखा शीर्षक "0029-भूराजस्व-800-अन्य प्राप्तियाँ-08-मालिकाना राजस्व-0806-प्रकीर्ण प्राप्तियाँ" के नाम जमा कराया जायेगा।

(3) कलेक्टर द्वारा ग्राम सोनबरसा तप्पा मराछी चन्दौर स्थित विनिमय के माध्यम से प्राप्त संस्था की भूमि को नाली, रास्ता, चकमार्ग, धोबीघाट, श्मशान भूमि के रूप में दर्ज करने की कार्यवाही सुनिश्चित की जायेगी ताकि उक्त भूमि पर किसी प्रकार का अवैध कब्जा आदि न हो सके।

(4) लोक प्रयोजन की भूमि का श्रेणी परिवर्तन तथा विनिमय का आदेश प्राप्त होने पर कलेक्टर द्वारा अधिकार अभिलेख (खतौनी) और मानचित्र में तदनुसार संशोधन की कार्यवाही 15 दिन में पूर्ण किया जायेगा।

(5) कलेक्टर कृत कार्यवाही की पूर्ण सूचना शासन तथा आयुक्त एवं सचिव, राजस्व परिषद को 30 दिन में उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेगें।

आज्ञा से,
संजय गोयल
सचिव

-2-

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

संख्या-18/2020/1214 (1)/ एक-1-2020-रा0-1 तद्दिनांक ।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- आयुक्त एवं सचिव, राजस्व परिषद, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

2- आयुक्त गोरखपुर मण्डल, गोरखपुर।

4- जिलाधिकारी, गोरखपुर ।

5- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

आर0 वी0 सिंह
विशेष सचिव

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।